



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

मोटरसाईकिल चोरी करने वाले आरोपी सावन को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 01 वर्ष 04 माह का कारावास व 2000 रुपये अर्थदण्ड की सजा ।

अवगत कराना है कि वर्ष 2020 में अभियुक्त सावन पुत्र कृष्ण निवासी ग्राम शबगा थाना छपरौली जनपद बागपत द्वारा मोटरसाईकिल चोरी करने की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0- 766/2020 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया था । इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 18.06.2024 को मा0 न्यायालय JM जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त सावन को दोषी पाते हुए 01 वर्ष 04 माह के कारावास व 2000 रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया है ।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है । बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा ।



@baghpatpolice



Baghpat police



baghpatpolice



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

आर्म्स एक्ट में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर आरोपी रवि को हुआ 10 माह का कारावास व 1,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2023 में अभियुक्त रवि पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम हरचन्दपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत के विरुद्ध थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 321/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था । इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 18.06.2024 को मा0 न्यायालय जे.एम. जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त रवि को दोषी पाते हुए 10 माह के कारावास व 1,000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा ।



@baghpatpolice



baghpatpolice



Baghpat Police



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली

दिनांक 18.04.2024

थाना छपरौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान 02 अवैध मादक पदार्थ तस्करो को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 15 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा तथा तस्करी में प्रयुक्त 01 मोटरसाईकिल हीरो स्प्लैण्डर नं0 HR-10P-5760, 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस व 01 अवैध चाकू बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध मादक पदार्थ तस्करो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अवैध मादक तस्करो को गिरफ्तार किया गया है । जिनके कब्जे से 15 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा तथा तस्करी में प्रयुक्त 01 मोटरसाईकिल हीरो स्प्लैण्डर नं0 HR-10P-5760, 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस व 01 अवैध चाकू बरामद हुआ है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना छपरौली पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-मौहसीन पुत्र मौ० हनीफ निवासी ग्राम टाण्डा थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 2-शाहरुख पुत्र भूरा निवासी ग्राम टांडा थाना छपरौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 15 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा ।
- तरकरी में प्रयुक्त 01 मोटरसाईकिल हीरो स्प्लैण्डर नं० HR-10P-5760
- 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस ।
- 01 अवैध चाकू ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ०नि० शीलेन्द्र सिंह थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 2- है०का० 283 राजकुमार शर्मा थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 3- का० 227 अनिल कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 4- का० 953 अंकुल थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 5- का० 597 प्रेमपाल थाना छपरौली जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बड़ौत

दिनांक -18.06.2024

थाना बड़ौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 390/24 धारा 307/352/323/504/506
भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक

01.06.2024 को थाना बड़ौत पर वादी राकेश पुत्र धारा सिंह निवासी ग्राम जौनमाना थाना बड़ौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्त दीपक पुत्र दिलावर निवासी ग्राम जौनमाना थाना बड़ौत



जनपद बागपत ने उसके साथ गाली-गलौच करते हुए उसके ऊपर जान से मारने की नीयत से फावड़े से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया तथा जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध पर प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 390/24 धारा 307/352/323/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बड़ौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 390/24 धारा 307/352/323/504/506 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बड़ौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

दीपक पुत्र दिलावर निवासी जौनमाना थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री ज्ञानेन्द्रपाल सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

2-है0का0 306 राजीव कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

3-है0का0 414 मानसिंह थाना बड़ौत जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 18.06.2024

थाना बडौत पुलिस ने 03 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा 03 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-मोहित पुत्र सुखवीर निवासी ग्राम बामनौली थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2-दीपक उर्फ सुआ पुत्र पप्पू निवासी पट्टी खोब्बा महावतपुर बावली थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-संजीव पुत्र वीर निवासी ताडवाला थाना झींझाना जनपद शामली ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री आशीष कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-उ0नि0 श्री राजेन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 4-है0का0 226 धर्मेन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 5-का0 948 पंकज कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक-18.06.2024

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 134/24 धारा 380/323/504/506 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी की हुई 02 अंगूठी (सफेद धातु) बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक-06.03.2024 को थाना बडौत पर वादी गुलसार पुत्र जमशैद निवासी राजपुर खामपुर थाना बडौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्त गौरव पुत्र सतपाल निवासी ग्राम राजपुर खामपुर थाना बडौत जनपद बागपत द्वारा उसके घर से कीमती आभूषण व एक सैमसंग मोबाइल की बैटरी चोरी कर ली है तथा वादी द्वारा उपरोक्त सामान मांगने पर उसके साथ गाली गलौच करते हुए मारपीट की



तथा जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 134/24 धारा 380/323/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 134/24 धारा 380/323/504/506 भादवि में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से चोरी की हुई 02 अंगूठी (सफेद धातु) की बरामद हुई है।

नोट- उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

गौरव पुत्र सतपाल निवासी ग्राम राजपुर खामपुर थाना बडौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

02 अंगूठी (सफेद धातु)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री रामकुमार सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।

1-हे0का0 438 कवित कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।

